

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2023

विषय:- नगर निगम, गोरखपुर के अन्तर्गत स्वीकृत इंजीनियरिंग कालेज के निकट जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु वसुन्धरा मोड़ से तुरा नाले तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य के लिए सातवीं/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-1069/GM(N-03)/गो०-1/30, दिनांक 09.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत इंजीनियरिंग कालेज के निकट जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु वसुन्धरा मोड़ से तुरा नाले तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य के लिए परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1081(1)/35-4-2013, दिनांक 18.07.2013 द्वारा मूल लागत रू० 1605.13 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू० 642.05 लाख शासनादेश संख्या-313/2016/1275/35-4-2016, दिनांक 22.09.2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू० 642.05 लाख एवं शासनादेश संख्या-271/2018/1141/नौ-5-18-54बजट/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू० 321.03 लाख अर्थात् कुल रू० 1605.13 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-245/2020/5970/नौ-5-2021-54बजट/2018, दिनांक 27.03.2021 द्वारा विषयगत परियोजना का रूपये 3174.77 लाख का पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में रूपये 200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-05/2022/1190/नौ-5-2022-54बजट/2018, दिनांक 12.04.2022 द्वारा पांचवीं किश्त के रूप में रू० 1000.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-41 /2022/3007/नौ-5-2022-54बजट/2018, दिनांक 26.07.2022 द्वारा छठवीं किश्त के रूप में रूपये 210.90 लाख अर्थात् कुल धनराशि रूपये 3016.03 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत सातवीं/अंतिम किश्त के रूप में रू० 158.74 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (5) प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

- (10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।
- (14) गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानकानुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के संबंधित अधिकारियों की होगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,58,74,000 (रुपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
14.08.2023
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 90(1) /2023/4274/नौ-5-2023/001-54Budget-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
- 7- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता(गो०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 11- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- वित्तस (व्य य-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
14.08.2023
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-14/08/2023

प्रेषण संख्या:- 90
आवंटन आदेश संख्या:- 001-90-2023-4274-9-5-2023-001-54B-2018
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	15874000 294774000	15874000 294774000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15874000 294774000	15874000 294774000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ अट्ठावन लाख चौहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ सैंतालीस लाख चौहत्तर हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव